न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 25/2024 **दायर दिनांकः 18.11.2024**

उनवान

1. समीम बेगम आयु 54 वर्ष पुत्री रसूल पत्नी मोहम्मद युसूफ जाति नीलगर निवासी आटोन हाल मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 29.01.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 26 का खसरा न. 1106 का रकबा 1.58 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.58 है0 आराजी हिस्सा 1/8 दर्ज खाता चली आ रही है । नकल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी पैतृक आराजी है जो प्रार्थिया को उसके पिता रसूल से विरासत में प्राप्त हुई है, खातेदार रसूल की मृत्यु के पश्चात आराजी वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थिया का नाम समीम बेगम के स्थान पर मकसूधन दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थिया का सही नाम समीम बेगम है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी आदि दस्तावेजों में भी समीम बेगम नाम ही दर्ज है । उक्त समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम मकसूधन के स्थान पर समीम बेगम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:26 IST
Reason: SelfAttested

का नाम मकसूधन कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थिया बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं आदि का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी । प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटी को दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है । आराजी ग्राम/माल आटोन तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम/माल आटोन में खाता संख्या 26 का खसरा न. 1106 का रकबा 1.58 है. कुल किता 1 का रकबा 1.58 हैक्टर आराजी हिस्सा 1/8 में प्रार्थिया का नाम मकसूधन के स्थान पर मकसूधन उर्फ़ समीम बेगम दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3762 दिनांक 20.12.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 26, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शपथ पत्र अशफाक, शपथ पत्र लियाकत व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू (खास) में खाता संख्या 26 का खसरा न. 1106 का रकबा 1.58 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.58 है0 आराजी में सहखातेदार मकसूधन पुत्री रसूल के स्थान पर मकसूधन उर्फ समीम बेगम पुत्री रसूल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 26 का खसरा न. 1106 का रकबा 1.58 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.58 है0 आराजी में सहखातेदार मकसूधन पुत्री रसूल के स्थान पर मकसूधन उर्फ समीम बेगम पुत्री रसूल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.06.11 10:38:26 IST
Reason: SelfAttested